

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 47 / 2025

जीसीएमएस संख्या: 2025 / 91

निर्णय दिनांक: 31.10.2025

दायर दिनांक: 03.04.2025

- (1) प्रभूसिंह पुत्र स्व. मूल सिं निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
- (2) राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. अमर सिंह निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)
- (3) श्रीमती सुमित्रा कंवर पत्नी स्व. अमर सिंह निवासीनी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राजस्थान)

.....वादीगण

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
2. इन्द्रकंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
3. ईचरजकंवर पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
4. उच्छबकंवर पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
5. उम्मेदकंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
6. उम्मेदकंवर पत्नी हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
7. उम्मेदसिंह पुत्र गोमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
8. गैना कंवर पुत्री बालूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
9. गिरधारीसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
10. घेवरकंवर पुत्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
11. चंदा कंवर पुत्री हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)

दिनांक

34. हरी सिंह पुत्र करणी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
35. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी स्व. गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
36. रेवन्तसिंह पुत्र स्व. गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
37. जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व. गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीसर हरावतान तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
38. श्रीमान् शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
39. श्रीमान् शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:

1. वादीगण अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 पैरोकार राज।
3. प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 39 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही ग्राम गाढ़जीपुरा में खाता संख्या 114 के खेत ख0नं0 118 तादादी 8.1054 है0, 126 तादादी 1.2012 है0, ख0नं0 137 तादादी 3.5279 है0, ख0नं0 140 तादादी 3.4520 है0 कुल तादादी 16.2865 है0 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 39 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम परतुसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत, वादी संख्या 2 का नाम देवीसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत व वादीनी संख्या 3 का नाम भंवरकंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत के नाम से खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है। जबकि वादी संख्या 1 ता 3 के शुद्ध नाम कमष: प्रभूसिंह पुत्र मूलसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह व सुमित्राकंवर पत्नी अमरसिंह है। इसी प्रकार शुद्ध नाम ही इनके आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में अंकित है।

वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादीगण की खातेदारी भूमि में वादीगण का नाम दुरस्त करवाना वादीगण के लिए आवश्यक है।

वादीगण का खेत रोही ग्राम लोणा व ग्राम गाढ़जीपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।



राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 1 तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण सं० 1 ता 3 के दस्तोवजों में नाम प्रभुसिंह पुत्र मूलसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह व सुमित्रा कंवर पत्नी अमरसिंह ही दर्ज है। वादीगण प्रभुसिंह व परतुसिंह एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार राजेन्द्रसिंह व देवीसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। तथा सुमित्राकंवर व भंवरकंवर भी एक ही महिला के नाम है अलग अलग नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 74 रोही डूगरास आथूणा में भी वादीगण का नाम कमषः प्रभुसिंह पुत्र मूलसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह व सुमित्राकंवर पत्नी अमरसिंह ही अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रभुसिंह पुत्र मूलसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह व सुमित्राकंवर पत्नी अमर सिंह दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, कार्ड में वादीगण का नाम प्रभुसिंह पुत्र मूलसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह व सुमित्राकंवर पत्नी अमर सिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं० 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार दुरुस्त किया जावे।

क्रं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	गाढ़जीपुरा	2 (खसरा नम्बर 118, 126, 137, 140)	परतुसिंह पुत्र मूलसिंह	प्रभुसिंह पुत्र मूलसिंह
			देवीसिंह पुत्र अमरसिंह	राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह
			भंवरकंवर पत्नी अमरसिंह	सुमित्राकंवर पत्नी अमरसिंह

अन्य कोई प्रविष्टि तथा रहन की प्रविष्टि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमेंडबदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
वइजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

प्रमुसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार
दावा रेकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा न0 47 सन 2025
जीसीएमएस संख्या 2025/91

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु
.....हाजरी श्री अमरसिंह राठौड़ एडवोकेट, मिनजानिब मुद्ई व पैरोकार राज
मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार
सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि में दर्ज खातेदार का नाम निम्नानुसार
दुरुस्त किया जावे।


क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	गाढ़जीपुरा	2 (खसरा नम्बर 118, 126, 137, 140)	परतुसिंह पुत्र मूलसिंह	प्रमुसिंह पुत्र मूलसिंह
			देवीसिंह पुत्र अमरसिंह	राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह
			भंवरकंवर पत्नी अमरसिंह	सुमित्राकंवर पत्नी अमरसिंह

अन्य कोई प्रविष्टि तथा रहन की प्रविष्टि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज..... मुबलिग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक
..... को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 10 सन 2025

मुहर


 दस्तखत
 ओहदा

मुद्ई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पबकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुकमनामा		
बाबतइजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।